



भा.कृ.अनु.प.—केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान

रहमानखेड़ा, पो. काकोरी, लखनऊ-226 101 (भारत)

ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture

Rehmankhara, P.O. Kakori, Lucknow-226 101 (India)

Phone 0522-2841022,2841023,2841024; Fax 0522-2841025

Website:www.cish.res.in; email id: cish.lucknow@gmail.com



फा.सं. 1-9/2016-17/M

दिनांक 13 .03.2018

नीलामी—सूचना

भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा प्रक्षेत्र पर कार, जीप, जिराक्स मशीन, फर्नीचर सामान, कम्प्यूटर, उपकरण, टायर—टियूब तथा अन्य पुराने सामानों की खुली नीलामी दिनांक 27.03.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे संस्थान के द्वितीय प्रखंड पर की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति /फर्म/कंपनी कार, जीप, जिराक्स मशीन, फर्नीचर सामान, कम्प्यूटर, उपकरण, टायर—टियूब तथा अन्य पुराने सामानों का निरीक्षण दिनांक 22.03.2018 से दिनांक 26.03.2018 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय काल 4.00 बजे तक स्टोर प्रभारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त कर सकते हैं।

नीलामी की शर्तें निम्न है :-

1. सर्वोच्च बोली बोलने वाले व्यक्ति का प्रस्ताव उचित होने पर ही उस पर विचार किया जा सकेगा।
2. बोली लगाने के इच्छुक व्यक्ति को ₹ 10,000.00 मात्र धरोहर राशि के रूप में नगद जमा करनी होगी, जो कि नीलामी के उपरान्त सभी असफल बोली लगाने वालों को तुरन्त वापस कर दी जायेगी।
3. जिस व्यक्ति के नाम बोली स्वीकार होगी उसे स्वीकृत बोली की 1/3 भाग की धनराशि उसी समय उपस्थित अधिकारियों के पास जमा करानी होगी। नीलाम किये गये सामान उठाने की अनुमति तभी दी जायेगी जब पूर्ण धनराशि संस्थान के खाते में जमा कर दी जायेगी।
4. नीलाम हुये सामानों की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी जिसके नाम बोली छूटेगी।
5. उक्त सामानों को उठाते अथवा ले जाते समय संस्थान की किसी भी सम्पत्ति की यदि क्षति होती है तो उसकी भरपाई उस व्यक्ति से की जायेगी जिसके नाम बोली स्वीकृत होगी।
6. सामानों को बाहर ले जाने के लिए गेट पास फार्म प्रभारी/सुरक्षा प्रभारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक ही ले जाया जा सकता है।
7. बिना कोई कारण बताए नीलामी को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संस्थान के निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।
8. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न होने की अवस्था में प्रस्ताव निरस्त समझा जायेगा तथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
9. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि संस्थान में जमानत राशि के रूप में जमा रहेगा। सामान की कुल राशि भुगतान कर सामान उठाकर ले जाने के उपरान्त ही जमानत राशि वापस किया जायेगा।

13.03.2018
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी